

॥ कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर ॥

(जोधपुर एवं बीकानेर संभाग)

क्रमांक:उ.म.नि./प्र0भर्ती-2018/एमबीसी/बीका.मण्डल/2018/11266-72

दिनांक: 28/9/2022

:: आदेश ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम-1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में एम.बी.सी. के बीकानेर मण्डल हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित आशार्थी को प्रहरी पद पर बीकानेर मण्डल से चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर प्रहरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

नव नियुक्त अभ्यर्थी उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर के समक्ष दिनांक 04.10.2022 को आवश्यक रूप अपनी उपस्थिति देंगे। साथ ही नियुक्ति आदेश में वर्णित शपथ पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 06 फोटो (जो कि मेडिकल के समय प्रस्तुत की गई थी) आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।

क्र.सं.	रजिस्ट्रेशन आई.डी.	नाम आशार्थी	पिता का नाम	मैरिट क्रमांक	जाति श्रेणी	चयन श्रेणी	जन्म तिथि
1	30029902	श्री धर्मराम	श्री केशाराम	02	MBC	MBC-male-02	11/09/1993

01. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रुपये 12800/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मैट्रिक्स के लेवल L.3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
02. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
03. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होंगे एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:प.2(2)वित्त (नियम)/2021 पार्ट जयपुर दिनांक 26.05.2022 के

- अनुसार नियमानुसार सामान्य प्रावधानी निधि की मासिक कटौती की जायेगी तथा राज्य बीमा की कटौती परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार नहीं होगी।
04. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
 05. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
 06. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
 07. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक:5(5)/एफडी/Insurance/2020 जयपुर दिनांक 09.04.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना लागू होगी जिसकी नियमानुसार मासिक कटौती की जायेगी।
 08. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/आदेश लागू होंगे।
 09. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-11/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
 10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
 11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 की पालना में धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।
 12. आशार्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगे, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगे तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।
 13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अध्याधीन है।
 14. यह कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 04.10.2022 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावे।



15. आवश्यक निर्देश संलग्न है।

आशार्थियों को नियुक्ति पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(राजपाल सिंह)

उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जोधपुर (राज0)

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

01. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. श्रीमान महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
03. वित्तिय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
04. श्री धर्मराम पुत्र श्री केशाराम गुर्जरों की ढाणी, ग्राम पोस्ट-ओस्तरां तह.भोपालगढ जिला जोधपुर -342603 को ज्वाइनिंग निर्देशों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि बंध पत्र (पचास रुपये के स्टाम्प पर), दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ-पत्र, संलग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एवं मेडिकल के समय प्रस्तुत फोटो 06 प्रति में आवश्यक रूप से लेकर निर्धारित तिथि को इस कार्यालय पर अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देवें। (ज्वाइनिंग निर्देश एवं शपथ-पत्रों के प्रारूप संलग्न है)
05. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।
06. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जोधपुर (राज0)

प्रहरी भर्ती 2018 में एम.बी.सी से चयनित अभ्यर्थी को प्रहरी पद पर उपस्थित होने के संबंध में ज्वाइनिंग निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर पर निर्धारित दिनांक 06.07.2022 को आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।
2. उपस्थित होते समय निम्नांकित मूल दस्तावेज (यदि पूर्व में जमा नहीं करवाए गये हो) तो अपने साथ लावें।
इसके अभाव में नियुक्ति पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
 - आयु प्रमाण पत्र। (सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र)
 - जाति प्रमाण पत्र। (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग)
 - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंकतालिका।
 - मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - यदि पूर्व में कही कार्यरत है तो पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
 - आधार कार्ड।
 - पेन कार्ड।
3. बन्ध पत्र (Bond) पचास रुपये के INDIAN-NON-JUDICAL स्टाम्प पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट <http://home.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है)।
4. यदि विवाहित है तो दिनांक 01.02.2002 को एवं उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ पत्र (स्टाम्प पर)। (विभागीय वेबसाइट <http://home.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है)।
5. विवाहित के द्वारा उनके “विवाह के समय दहेज नहीं लिया गया है “ और अविवाहित है, तो उनके द्वारा “विवाह में दहेज नहीं लूंगा” का शपथ पत्र (स्टाम्प पर) अनिवार्य रूप से देना होगा।
6. धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता शपथ पत्र (स्टाम्प पर)।
7. 06 पासपोर्ट साईज फोटो।
8. चयनित अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं के बैंक खाते की पासबुक लेकर आएंगे।

—: अनुबंध-पत्र :—

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
आयु..... वर्ष, जाति..... निवासी.....
शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरा प्रहरी पद पर परीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप
महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर के आदेश क्रमांक..... दिनांक.....
के आदेशानुसार चयन हुआ है ।

मेरी प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार
अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूंगा/चाहूंगी या अन्य पद ग्रहण करना चाहूंगा/चाहूंगी तो
ऐसा करने से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए
व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूंगा/दूंगी ।

स्थान:—

दिनांक:—

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

—: सत्यापन :—

मैं उपरोक्त बन्धपत्र निष्पादनकर्ता सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उक्त बन्ध पत्र
की समस्त बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

—: अनुप्रमाणित :—

श्री.....पुत्र/पुत्री श्री.....आयु.....
वर्ष जाति..... निवासी..... को अनुप्रमाणित करता हूं ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

(नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटरी सहित)

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी..... सशपथ बयान करता हूँ/करती हू कि "मेरा

विवाह श्रीमति/श्री के साथ दिनांक

को हुआ था । विवाह में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया/दिया है ।"

अथवा

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी..... सशपथ बयान करता हूँ/करती हू कि "मैं

अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में होने वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लूंगां/नहीं दूंगी

।

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

(नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी सहित)

संतानो की संख्या के संबंध में शपथ-पत्र

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी..... सशपथ बयान करता हूँ/करती हू कि :-

01. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पूर्व संतानो की संख्या हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	संतान का नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक

02. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पश्चात संतानो की संख्या हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	संतान का नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

(नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी सहित)

धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ-पत्र

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी..... सशपथ बयान करता हूँ/करती हूँ कि
“धूम्रपान एवं गुटखा का सेवन नहीं करूंगा/करूंगी” ।

दिनांक:-

हस्ताक्षर शपथ कर्ता